

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-37/2018/1090 /दो-2-2018-28/2(12)/2018
लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च, 2018
आदेश

श्री राजेन्द्र प्रसाद, पी0सी0एस0-1999 के भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-72215 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री राजेन्द्र प्रसाद, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-21/मिलान डायरी-285/88489 दिनांक 06-12-2017 के अनुसार वर्ष 2016-2017 तक कुल जमा धनराशि रू0-20,59,976/- (रू0-बीस लाख उनसठ हजार नौ सौ छिहत्तर मात्र) जिसमें माह 3/17 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-18,53,978.04 अर्थात रू0-18,53,978.00 (रूपये अटठारह लाख तिरपन हजार नौ सौ अटहत्तर मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री राजेन्द्र प्रसाद के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, महाराजगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (वि/रा), महाराजगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, महाराजगंज।
- 4- श्री राजेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 पता-मकान नं0-10-डी/55 वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।